

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प दादर



—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दादर व भूअनि चूरु की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चूरु / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दादर तहसील चूरु व जिला चूरु की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 147 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>दादर</u>	<u>147</u>	<u>चन्द्रावली पुत्री दुलाराम हिस्सा 85/603 जाति जाट निवासी दादर खातेदार</u>	<u>चावली पुत्री दुलाराम हिस्सा 85/603 जाति जाट निवासी दादर खातेदार</u>



क्रमांक :- 65/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चूरु को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्रीमती चावली पुत्री दुलाराम जाति जाट नि. दादर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

08/10/21
(पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा. कलक्टर, चूरु

दिनांक : 08/10/2021



पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा. कलक्टर,

चूरु

ना.नं. 1759
9-10-21